उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग–3 (नियुक्तियाँ)
संख्या–डी–936 / सात–न्याय–3–2023–24 / 2006
लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2023

नोटिस

नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का संख्यांक 53) की धारा–15 के अन्तर्गत बनाये गये नोटरी नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अधीन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों / तहसीलों में नोटरी के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या–डी–538 / सात–न्याय–3–2023–24 / 2006, दिनांक 29.05.2023 के क्रम में आवेदकों का राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी–1, विक्रांत खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ (शहीद पथ के निकट, अवध बस डिपो / रंजीश होटल के पीछे) की बिल्डिंग में दिनांक 18–09–2023 से दिनांक 14–10–2023 तक दो पालियों में समय प्रातः 10.00 से 01.30 बजे एवं अपरान्ह 2.00 बजे से 5.30 बजे तक प्रस्तावित जनपदवार साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से **स्थगित** किया जाता है। साक्षात्कार हेतु अग्रिम तिथि की सूचना उचित माध्यमों से आवेदकों को यथासमय दी जायेगी।

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव–II)
प्रमुख सचिव।

संख्या–डी–936 (1) / सात–न्याय–3–23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ कि आप सभी संबंधित बार एसोसियेशन / मा0 न्यायालयों से संबंधित आवेदकों (अधिवक्तागण) के मध्य इसे व्यापक रूप से प्रसारित करें:–

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ।
(3) समस्त जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0।
(4) सचिव, बार काउंसिल उ0प्र0।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(कुश कुमार)
विशेष सचिव

आदेशः–

अवलोकित। नोटिस की एक प्रति अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय, अधिवक्ता संघ, जौनपुर को समस्त तहसील बार एसोसिएशन, जौनपुर एवं दीवानी न्यायालय के समस्त अधिवक्तागण के मध्य परिचालित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाय। सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि नोटिस को जनपद न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।
16.09.2023